न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1324–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 7–5–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण कमांक 24/अपील/2004–05.

———

1– जयसिंह आत्मज तुलसीराम
2– गोपाल सिंह आत्मज तुलसीराम
3– खेतसिंह आत्मज तुलसीराम
4– दीनदयाल आत्मज गणेशराम
5– भगवत आत्मज गणेशराम
6– अर्जुनसिंह आत्मज चुन्नीलाल
7– राजाराम आत्मज लालचंद गुर्जर
8– मनोहर आत्मज गणेशराम
निवासीगण ग्राम टंडा
तहसील पिपरिया जिला होशंगाबाद .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– राजकुमार आत्मज सब्बूलाल
2– अनुरूद्ध शाह आत्मज स्व. सब्बूलाल
3– शिवकुमार आत्मज स्व. भीकमशाह
4– बलवंत शाह आत्मज स्व. गोविंदशाह
5– शंकर प्रताप शाह आत्मज स्व. गोविंदशाह
6– उमामोती पुत्री श्रीमती उमेदकुंवर
बेवा देवीशाह (मृत) द्वारा वारिसान–
(6 अ) बड़ी बाई पुत्री भीकम सिंह
(6 ब) खुशवेन्द्र शाह पिता राजकुमार शाह
निवासीगण ग्राम बरेली
तहसील सोहागपुर जिला होशंगाबाद .....अनावेदकगण

———

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री सुरेन्द्र सिंह राजपूत, अभिभाषक, अनावेदकगण

———

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/10/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–5–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार, पिपरिया के आदेश दिनांक 26–3–90 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, पिपरिया के समक्ष इस आधार पर प्रस्तुत की गई कि आवेदकगण द्वारा बिना अनावेदकगण को सूचना दिये नामांतरण व बटवारा आदेश पारित करा लिया गया है, जो कि पूर्णतः अवैधानिक कार्यवाही है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील में कार्यवाही करते हुए दिनांक 29–5–2004 को आदेश पारित किया गया तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 7–5–2015 को आदेश पारित कर अपील निरस्त करते हुए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत रखा गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण में पेशी दिनांक 4–7–2016 को इस निर्देश के साथ आदेशार्थ रखा गया था कि उभय पक्ष के अभिभाषक एक सप्ताह में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । अतः प्रकरण का निराकरण अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों एवं आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों पर किया जा रहा है । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अपर आयुक्त द्वारा बिना तहसीलदार का अभिलेख बुलाये यह निष्कर्ष निकालने में अवैधानिकता की गई है कि तहसीलदार द्वारा अनावेदकगण को सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है ।

(2) अपर आयुक्त द्वारा यह निष्कर्ष निकालने में त्रुटि की गई है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में दो प्रकार के आदेश पारित हुए हैं, जबकि वास्तव में एक ही आदेश पारित हुआ है।

(3) व्यवहार न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का आवेदकगण को भूमिस्वामी माना है, और आवेदकगण को संहिता के अस्तित्व में आने के पूर्व से ही भूमिस्वामी माना गया है, ऐसी स्थिति में जब संहिता के प्रावधान अस्तित्व में ही नहीं था, तब अपर आयुक्त का यह निष्कर्ष उचित नहीं है कि तहसीलदार द्वारा संहिता के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है ।

(4) तुलसीराम की मृत्यु वर्ष 1993 में दिनांक 24–3–93 को हो चुकी है, और उस पर वर्ष 1998 में सूचना पत्र की तामीली कराई गई है, ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति अस्तित्व में ही नहीं था अथवा मृत हो चुका था, अतः उसके विरूद्ध आदेश पारित नहीं किया जा सकता था । इस प्रकार मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित आदेश शून्यवत है ।

(5) दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है कि सर्वप्रथम समयावधि के बिन्दु का निराकरण करना चाहिए था, तत्पश्चात गुण–दोष पर आदेश पारित किया जाना चाहिए, क्योंकि अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विलम्ब की माफी के लिए अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदकगण आदिवासी है, और उनकी भूमि का नामांतरण, रहन व विक्रय करने से पूर्व शासन की अनुमति लेना अनिवार्य है, परन्तु तहसीलदार द्वारा बगैर किसी आधार के आवेदकगण का नामांतरण करने में अवैधानिकता की गई है, इसलिए अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(2) अनावेदकगण आदिवासी वर्ग के हैं, और उनकी भूमि को संरक्षित करने के विशेष प्रावधान शासन ने दिये हैं, जिन्हें अनदेखा कर तहसीलदार द्वारा आदेश पारित किया गया था, इस कारण अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया है ।

(3) तहसीलदार द्वारा अनावेदकगण को सुनवाई का बिना अवसर दिये आदेश पारित किया गया है, इस कारण भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में कोई अवैधानिकता नहीं की गई है, और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा भी विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा बिना सहखातेदारों को सूचना दिये बटवारा आदेश पारित किया गया है, और एक ही आवेदन पत्र पर एक ही प्रकरण में दो प्रकार के आदेश पारित किये गये हैं । स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश पूर्णतः अवैधानिक एवं अनुचित आदेश था, जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस प्रकार दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । इसके अतिरिक्त तहसील न्यायालय का प्रकरण कमांक 12/अ–6/89–90 दिनांक 26–3–98 प्राप्त नहीं होने पर अपर आयुक्त द्वारा संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु लिखा गया था, परन्तु आज दिनांक तक तहसील न्यायालय का प्रकरण गायब होने के लिए किसी भी कर्मचारी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई है । अतः उपरोक्त प्रकरण गायब हो जाने के संबंध में संबंधित कर्मचारी की जिम्मेदारी तय उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश तहसीलदार को दिये जाते हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–5–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर